247

भारत INDIA
बीस रुपये TWENTY RUPEES
भारत INDIA
दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालयः राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग - 2773 - I-16

प्रकरण क्रमांक/ /I/2016 निगरानी

विनोद कुमार पुत्र राममूर्ति जाति जाट
निवासी ग्राम लहरौनी तह. कराहल
जिला श्योपुर म.प्र.

............निगरानीकर्ता

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

............गैरनिगरानीकर्ता

दिनाँक 16.8.16 को श्री वीरसिंह जादौन अधि० द्वारा प्रस्तुत।
16.8.16
SO

निगरानी रिूद्व प्रकरण क्रमांक 22/15–16/स्वमेव निगरानी अपर कलेक्टर महोदय श्योपुर के आदेश दिनांक 25.07.2016 के विरूद्व

माननीय न्यायालय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैः–

निगरानी का संक्षिप्त में विवरण :–

ग्राम लहरौनी स्थित भूमि सर्वे नं. 3/2रकबा 2.090 हे. पर आवेदक करीबन 15–20 वर्षो से निरंतर काबिज होकर खेती करता चला आ रहा था, उसने अपने कब्जे के आधार पर ग्राम की उक्त भूमि पर नामांतरण हेतु श्रीमान तहसीलदार महोदय कराहल के समक्ष कब्जे के आधार पर नामांतरण बावत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे तहसीलदार महोदय कराहल द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुऐ विचरण प्रारम्भ किया और अपने न्यायालयीन प्र.क्रं. 85/2012–13/अ–6 पर दर्ज करके आदेश दिनांक 19.07.13 से प्रार्थी के हित में नामातरण स्वीकार किया गया, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी महोदय श्योपुर के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 13.02.14 क्रमांक/जॉच/प्रतिवेदन/2014/143 श्रीमान कलेक्टर महोदय श्योपुर के समक्ष 61 लोगों के रिूद्व प्रतिवेदन भेजा गया जो अपर कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 17.02.14 को रीडर 2 के लिये मार्क किया गया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर दिनांक 28.03.16 को प्रकरण प्रारम्भ किया गया जो प्रतिवेदन प्राप्त होने के करीबन

3

क्रमंशः............2

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.2773-एक/2016 जिला- श्योपुर

विनोद कुमार विरूद्ध म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभ आदि के हस्ताक्ष
22-08-19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला- श्योपुर के प्रकरण क्रमांक 22/2015-16/स्व.निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25.07.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-09-18 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त, चम्बल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2- पक्षकार दिनांक 10-10-19 को आयुक्त, चम्बल के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0 के0 जैन) सदस्य	